पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 173/2020

1. रणजीत सिंह पुत्र हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. इन्द्रकुमार पुत्र हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।
3. दयाराम पुत्र हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. हुकमाराम पुत्र बेगराज उर्फ बेगाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:—असल प्रतिवादीगण

2. संतोष पुत्री हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:—तरतीबी प्रतिवादीगण

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्यामसुन्दर शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा मलसीसर के खाता सं0 315/317 के खसरा सं0 413 की 2.1120है0, खसरा सं0 413/732 की 4.5530है0, खसरा सं0 430 की 3.4900है0, खसरा सं0 454 की 8.3460है0, खसरा सं0 616 की 5.6280है0 कुल 24.1290है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 हुकमाराम के नाम से 1/7हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया स0 2 संतोष ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण रणजीतसिंह, इन्द्रकुमार व दयाराम व प्रतिवादी सं0 1 हुकमाराम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.1.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 173/2020

1. रणजीत सिंह पुत्र हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. इन्द्रकुमार पुत्र हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।
3. दयाराम पुत्र हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. हुकमाराम पुत्र बेगराज उर्फ बेगाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:—असल प्रतिवादीगण

2. संतोष पुत्री हुकमाराम जाति खाती निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:—तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्यामसुन्दर शर्मा : वादी
वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : प्रतिवादीगण

दिनांक : 18.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 315/317 के खसरा सं0 413 की 2.1120है0, खसरा सं0 413/732 की 4.5530है0, खसरा सं0 430 की 3.4900है0, खसरा सं0 454 की 8.3460है0, खसरा सं0 616 की 5.6280है0 कुल 24.1290है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 हुकमाराम के नाम से 1/7हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादीगण के दादा बेगराज उर्फ बेगाराम की खातेदारी हुआ करती थी। बेगराज उर्फ बेगाराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हुकमाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रणजीत सिंह पुत्र हुकमाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी मलसीसर खाता सं0 315/317 प्रदर्श

सहायक कलक्टर (फास्ट्र ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1, जमाबंदी मलसीसर संवत 2051 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलसीसर प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा बेगराज उर्फ बेगाराम से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में हुकमाराम के वारिसान में 3 पुत्र रणजीत सिंह , दयाराम व इन्द्रकुमार व 1 पुत्री संतोष व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं 2 संतोष ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 315/317 के खसरा सं0 413 की 2.1120है0, खसरा सं0 413/732 की 4.5530है0, खसरा सं0 430 की 3.4900है0, खसरा सं0 454 की 8.3460है0, खसरा सं0 616 की 5.6280है0 कुल 24.1290है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 हुकमाराम के नाम से 1/7हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया स0 2 संतोष ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण रणजीतसिंह, इन्द्रकुमार व दयाराम व प्रतिवादी सं0 1 हुकमाराम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner